रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED NO. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 446] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 15, 1977/आश्विन 23, 1899

No. 446] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 1977/ASVINA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October 1977

S.O. 723(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the need for ascertaining all the relevant facts and circumstances relating to the alleged incident of lathi charge in the Central Jail, Tihar, on the 2nd October, 1975.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of a single member, namely, Shri R K. Baweja, a retired District and Sessions Judge.

2 The said Commission shall inquire into all the facts and circumstances relating to the alleged incident of lathi charge in the Central Jail, Tihar, on the 2nd October, 1975.

3 The Commission shall complete its inquiry and report to the Central Government on or before the 30th November, 1977.

4. And whereas the Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5), of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the said Commission, the Central Government hereby directs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, that all the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the said Commission.

[No. VI-14014/3/77-GPA. IV.]

J. C. PANDEY, Jt Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1977

का० आ० 723 (अ) —केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि, लोक महत्व के एक निश्चित विषय, अर्थात् 2 अक्तूबर, 1975 को केन्द्रीय जेल, तिहाड मे लाठी चार्ज की अभिकथित घटना से सबधित सभी सुसंगत तथ्यो और परिस्थितियो का पता चलाने की आवश्यकता, की जाच करने के प्रयोजन के लिए जाच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है ।

अत , अब केन्द्रीय सरकार, जाच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, एक जाच आयोग नियुक्त करती है जिसमे एक सदस्य, अर्थात् श्री आर० के० बावेजा, सेवा-निवृत्त जिला और सेशन न्यायाधीश, होगे ।

2 उक्त आयोग 2 अक्तूबर, 1975 को केन्द्रीय जेल, तिहाड़ मे हुई लाठी चार्ज की अभिकथित घटना से संबधित सभी तथ्यो और परिस्थितियो की जाच करेगा ।

3. आयोग 30 नवम्बर, 1977 को या उसके पूर्व अपनी जाच समाप्त करके केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे देगा ।

4. और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि, की जाने वाली जाच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए, जाच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबध उक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए, अत केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उस धारा की उक्त उपधाराओ (2), (3), (4) और (5) के सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू होगे ।

[स ०VI–14014 3 77–जी०पी०ए० IV]

जे० सी० पांडेय, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977